

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

| | |
|-----------------|--|
| <u>विषय :-</u> | वाहन की नीलामी |
| <u>तिथि :-</u> | 28.05.2016 |
| <u>समय :-</u> | प्रातः 11:00 बजे |
| <u>स्थान :-</u> | उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ, लखनऊ परिसर, गैराज के पास |

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के अधोलिखित वाहन की नीलामी की जानी है—

1. UP 70 AG 0097(एम्बेसडर)

उपरोक्त वाहन की नीलामी दिनांक 28.05.2016 को प्रातः 11.00 बजे उच्च न्यायालय परिसर में, गैराज के पास की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी की शर्तें न्यायालय के स्टाफ कार अनुभाग एवं नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय 10.00 से 03.00 बजे तक देखी जा सकती हैं तथा न्यायालय के दूरभाष संख्या 2624489, एक्स्टेंशन संख्या 258 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त नोटिस न्यायालय की वेबसाईट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

वरिष्ठ निबन्धक

कार्यालय वरिष्ठ निबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ, लखनऊ

संख्या :-

01 वाहन

विषय :-

वाहन की नीलामी

तिथि :-

28.05.2016

स्थान :-

उच्च न्यायालय परिसर, गैराज के पास

विवरण कार-

UP 70 AG 0097(एम्बेसेडर)

नीलामी की शर्तें

1. वाहन पर बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अग्रिम जमानत धनराशि रु० 10,000/- नकद जमा करना होगा जो नीलामी समाप्त होने पर नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
2. नीलाम होने वाले वाहन को नीलामी से एक कार्य दिवस पूर्व दिनांक 27.05.2016 को एक (1) नम्बर गेट से नियमानुसार पास / अनुमति प्राप्त कर, हाई कोर्ट गैराज के पास देखा जा सकता है, बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
3. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 50% राशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 50% धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. वाहन जहां है, जैसा है, की स्थिति में नीलाम होगा।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले को शेष धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व वाहन की पुनः नीलामी की जायेगी।
6. वाहन की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है तब तक वाहन सरकारी गैराज में रहेगा । क्रेता अपने संतोष के लिये उसकी देख रेख कर सकता है। बाद में वाहनों के बारे में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
8. नीलाम की गयी वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जबकि उसने वाहन का पूरा भुगतान कर दिया हो और विभाग से वाहन ले जाने की अनुमति ले ली हो।
9. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वाहन ले जाने की अनुमति मिलने के एक सप्ताह के अन्दर वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
10. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह वाहन को नियमानुसार अपने नाम हस्तांतरित कराने के बाद ही चलाने में प्रयोग करेगा तथा मा० उच्च न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना / स्क्रेप के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो इसकी भी सूचना नियमानुसार सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदान करेगा।
11. उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति नीलाम वाहन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. उपरोक्त नीलामी शर्तों के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो वरिष्ठ निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

13. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
14. नियमानुसार अन्य कर नीलामी जिसके पक्ष में हुयी है, के द्वारा देय होगा।
15. वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।

वरिष्ठ निबन्धक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराए जाने हेतु प्रेषित :-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
3. विषेष सचिव, वित्त अनुभाग – ई – 12, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
4. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
5. जिलाधिकारी, लखनऊ
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग), उत्तर प्रदेश, पार्क रोड, लखनऊ।

वरिष्ठ निबन्धक